

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर

क्रमांक एफ 3 (4) विकास/RSFDCL/2023/ 498-511

दिनांक: 01.08.2023

निमित्त

मुख्य वन संरक्षक,

विषय:- इको-ट्यूरिज्म गतिविधियों के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ:- अति. मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक निस/अ.मु.स/वपवि/2023/103 जयपुर, दिनांक 13.07.2023।

महादेय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य के कई वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रेकिंग एवं कैम्पिंग आदि इको-ट्यूरिज्म सम्बन्धित गतिविधियों की अपार सम्भावना है तथा आम जनता द्वारा ऐसी गतिविधियों की मांग भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में इको-ट्यूरिज्म से सम्बन्धित गतिविधियों को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्थान इको-ट्यूरिज्म पॉलिसी 2021 के अनुसार जिला इको-ट्यूरिज्म कमेटी द्वारा इको-ट्यूरिज्म की परियोजना बनाकर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर से स्वीकृत कराकर राजस्थान राज्य वन विकास निगम द्वारा परियोजना की क्रियान्विति की जानी है। अतः समस्त सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक गण अपने अधीनस्थ उप वन संरक्षक जो कि जिला इको-ट्यूरिज्म समिति के सदस्य सचिव हैं, को इको-ट्यूरिज्म से सम्बन्धित परियोजना को बनाकर एवं स्वीकृत कराकर राजस्थान राज्य वन विकास निगम को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान इको-ट्यूरिज्म पॉलिसी 2021 में अनुमत की गयी गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख है। अतः प्रस्ताव बनाते समय इन बिन्दुओं का आवश्यक ध्यान रखें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उदय शंकर)

प्रबन्ध निदेशक,

राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड,

जयपुर

क्रमांक एफ 3 (4) विकास/RSFDCL/2023 512-574

दिनांक: 01.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, कार्यालय अति. मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ.सी.ए/सिल्वीकल्चर/कैम्पा/श्रम एवं विधि, जयपुर।
5. संबंधित उप वन संरक्षक .....

प्रबन्ध निदेशक,

राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड,

जयपुर

Digitally signed by Uday Shankar  
Designation: Additional Principal  
Chief Conservator of Forest (APCCF)  
Date: 2023.07.27 16:07:44 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4361943

2023/8/2 15:11